न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 105/2022/अपील/एलआरएक्ट/कैंप कोर्ट बारां
दायरा दिनांकः 31.05.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

भूपेन्द्र पुत्र रतनलाल जाति धोबी निवासी ग्राम आटोन तहसील अटरू जिला बारां ...अपीलार्थी

बनाम

1. हुसैन मोहम्मद पुत्र ख्वाजू खां जाति मुसलमान निवासी आटोन
2. जुम्मीबाई पत्नि हुसैन मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी आटोन
   तहसील अटरू, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक – रेस्पो0 क्र.1 एवं 2

::निर्णय::

दिनांक 02.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर बारां (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 01/2014 बउनवान भूपेन्द्र बनाम हुसैन वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2021 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर रेस्पो0 के नाम ग्राम आटोन तहसील अटरू की आराजी खसरा सं0 1044 रकबा 0.50 है0, खसरा सं0 1040 की रकबा 0.75 है0 कुल दो किता रकबा 1.25 है0 का आवंटन दिनांक 08.04.2013 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के अपने पक्ष के समर्थन में रेस्पो0/अप्रार्थी को किए गए आवंटन की प्रक्रिया में त्रुटि होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा आवंटन को प्रावधानों एवं नियमों के तहत मानते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत विधित संधारणीय नहीं होने से निर्णय दिनांक 27.09.2021 से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 27.09.2021 से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील इस न्यायालय में पेश की जाकर कथन किया कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग शिविर ग्राम आटोन में अपीलार्थी एवं रेस्पो0 व अन्य गरीब काश्तकारान द्वारा उक्त आराजियात को आवंटन करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे, जिस पर रेस्पो0 के आवेदन पर आराजी खसरा सं0 1044 रकबा 0.50 है0, खसरा सं0 1040 रकबा 0.75 है0 कुल दो किता रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम आटोन तहसील अटरू का दिनांक 08.04.2013 को आवंटन कर दिया गया जबकि आवंटी भूमिहीन नहीं था, उसके खाते में सम्वत् 2073–76 में भी अन्य भूमि थी, जिससे उक्त आवंटन काबिल निरस्तनीय है, क्योंकि रेस्पो0 क्र.1 के खाते में पूर्व से ही 1.94 है0 आराजियात ग्राम आटोन में स्थित है, इसलिए रेस्पो0 क्र.1 आवंटन की पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। ग्राम आटोन में एससी/एसटी समुदाय के भूमिहीन गरीब व्यक्ति भी निवास करते है, किंतु फिर भी मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों के पास उनके खातेदारी में पूर्व में आराजी दर्ज होने पर भी उक्त आराजी का गलत आवंटन उनके पक्ष में किया गया जो, आवंटन नियमों के विरूद्ध है। आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजात का उचित पठन नहीं किया गया है। नियमतः यदि किसी व्यक्ति के पास पूर्व से आराजी है तो उसे आवंटन किया जाना कानूनन गलत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के इस कथन को नजरअंदाज कर विवादित निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.09.2021 निरस्त किया जाकर रेस्पो0 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 08.04.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 अभिभाषक सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रशासन गांव के संग शिविर ग्राम आटोन में अपीलार्थी एवं रेस्पो0 व अन्य गरीब काश्तकारान द्वारा उक्त आराजियात को आवंटन करवाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये थे, जिस पर रेस्पो0 के आवेदन पर आराजी खसरा सं0 1044 रकबा 0.50 है0, खसरा सं0 1040 रकबा 0.75 है0 कुल दो किता रकबा 1.25 है0 वाके ग्राम आटोन तहसील अटरू का दिनांक 08.04.2013 को आवंटन कर दिया गया जबकि आवंटी भूमिहीन नहीं था, क्योंकि रेस्पो0 क्र.1 के खाते में पूर्व से ही 1.94 है0 आराजियात ग्राम आटोन में स्थित है, इसलिए रेस्पो0 क्र.1 आवंटन की पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजात का उचित पठन नहीं किया गया है। नियमतः यदि किसी व्यक्ति के पास पूर्व से आराजी है तो उसे आवंटन किया जाना कानूनन गलत है।

माननीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.09.2021 निरस्त किया जाकर रेस्पो0 के पक्ष में किये गये आवंटन दिनांक 08.04.2013 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि प्रश्नगत आराजी का पात्रतानुसार ही प्रावधानों एवं नियमों के तहत ही आवंटन किया गया है। उक्त आराजी पर आवंटन उपरांत से आवंटी काबिज काश्त हैं। इस पर रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं। विभिन्न राजस्व न्यायालयों में अपीलार्थी की अपील खारिज की जा चुकी है तथा अपीलार्थी का प्रश्नगत आराजी के संबंध में कोई **locus-standi** नहीं है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का किसी प्रकार से हित निहित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर प्रकरण में अपीलांट द्वारा धारा–5 प्रार्थना–पत्र में विवेचित तथ्यों के परिपेक्ष्य में न्यायहित में मियाद कण्डोन करने के उपरांत अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित प्रकट होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर रेस्पो0 के नाम ग्राम आटोन तहसील अटरू की आराजी खसरा सं0 1044 रकबा 0.50 है0, खसरा सं0 1040 की रकबा 0.75 है0 कुल दो किता रकबा 1.25 है0 का आवंटन दिनांक 08.04.2013 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी के अपने पक्ष के समर्थन में रेस्पो0/अप्रार्थी को किए गए आवंटन की प्रक्रिया में त्रुटि होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा आवंटन को प्रावधानों एवं नियमों के तहत मानते हुए खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत विधितः संधारणीय नहीं होने से निर्णय दिनांक 27.09.2021 से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का मुख्य तर्क रहा है कि आवंटी भूमिहीन नहीं था, क्योंकि रेस्पो0 क्र.1 के खाते में पूर्व से ही 1.94 है0 आराजियात ग्राम आटोन में स्थित है, इसलिए रेस्पो0 क्र.1 आवंटन की पात्रता की श्रेणी में नहीं आता है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि प्रश्नगत आराजी का पात्रतानुसार ही प्रावधानों एवं नियमों के तहत ही आवंटन किया गया है। उक्त आराजी पर आवंटन उपरांत से आवंटी काबिज काश्त हैं। इस पर रेस्पो0 को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके हैं।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.09.2021 में प्रश्नगत आराजी के संबंध में अपीलार्थी के द्वारा रेस्पो0 को किये गये आवंटन की प्रक्रिया में त्रुटि होने संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने तथा आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र विधितः संधारणीय नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में तत्समय रिपोर्ट पटवारी अनुसार प्रार्थी/आवेदक श्री हुसैन मोहम्मद पुत्र ख्वाजू खां के स्वयं के खाते में रकबा 1.47 है0 आराजी होना अंकित किया गया है। जबकि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 11(1) "आवंटन के लिए पात्रता एवं प्राथमिकता" के अनुसार भूमि केवल भूमिहीन कृषक को ही आवंटित किये जाने का प्रावधान वर्णित है तथा रेस्पो0 क्र. 1 के पास आवंटन के पूर्व से ही रकबा 1.47 है0 भूमि होने से भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही जमाबंदी सम्वत 2073–2076 अनुसार कुल 6 किता की 1.94 है0 आराजी रेस्पो0 क्र.1 के नाम राजस्व रिकोर्ड में खातेदार दर्ज है। इस प्रकार रेस्पो0 क्र.1 को किया गया आवंटन दिनांक 08.04.2013 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(8c) अनुसार *"it is found that the allottee was not a landless agriculturist"* आवंटन शर्तों के अनुरूप नहीं होने से आवंटन विधिविरूद्ध होना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 01/2014 बउनवान भूपेन्द्र बनाम हुसैन वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2021 अपास्त किया जाता है तथा रेस्पो0 क्र. 1 को किया गया आवंटन दिनांक 08.04.2013 वाके ग्राम आटोन, तहसील अटरू का खसरा सं0 1040 रकबा 0.75 है0 खारिज किया जाता है।

9. निर्णय आज दिनांक 02.05.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा